(1)

दिल्ली जल बोर्ड
जन सपर्क कार्यालय
वरूणालय फेज–II, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

क्रम संख्या/दि.ज.बो./ज.स.वि.(जल)/2019/ 51283 दिनांक : 13-09-2019

विषय : दिल्ली जल बोर्ड में राजभाषा नियमावली 1976 के उपबंधों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु ।

दिल्ली जल बोर्ड के समस्त कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग) द्वारा दिनांक 19.08.2019 को जारी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने संबंधी निम्नलिखित विभिन्न परिपत्रों के निर्देशानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्यालय में अधिक से अधिक हिन्दी भाषा के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें :

1. दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 के कार्यान्वयन के संबंध में ।
2. दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध ।
3. प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में ।
4. राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध ।
5. सरकारी भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपटट् हिन्दी के साथ –साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में ।
6. हिन्दी के प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में ।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदी में लिखे और हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिंदी में सुनिश्चित करने संबंधी ।
8. नामपट्ट,सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण, बैज, इश्तहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र,यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा–निर्देशों, प्रपत्रों,परिपत्रों,भाषणों, समृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी ।

Office of the Secretary DJB, Diary No. 1288, 16/9/2019

Executive Engineer (EDP), Dy. No. 1989, Date 19/9/19

Prog-I

20-9-19

Secy. DJB

All HoDs 19/9

EE(EDP) / Dy.Dir(Estt) / EE(CCA) / EE(RP) / AO(RTI) / EE(RGA/GMS)

18/9/19

सभी अधिकारी-कर्मचारियों को नोट कराएं ।

(2)

राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने एवं कार्यालय संबंधी कार्यो में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए उपरोक्त परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना दिल्ली जल बोर्ड के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आवश्यक है ।

संलग्न : उपरोक्त परिपत्र.

संदीप

(संदीप गुलाटी)
उप–निदेशक (जन सपंर्क)

सभी कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि.ज.बो. : सूचनार्थ हेतु ।
2. सदस्य (प्रशासन) : सूचनार्थ हेतु ।
3. निदेशक (प्रशासनिक एवं का0) : सूचनार्थ हेतु ।

संदीप

उप–निदेशक (जन सपंर्क)

(3)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
www.artandculture.delhigovt.nic.in

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/1741–1791 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, स्थानीय निकाय,
   स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषयः "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसाकि विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" के अन्तर्गत उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग/कार्यालय निम्नलिखित अनुसार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" को क्रियान्वित करें।

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करना और उनका उत्तर देना।
(ख) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।
(ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी लिखा जाना।
(घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार–पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।
(ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्यवाही उर्दू और पंजाबी में भी अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ–साथ जारी की जाएगी।

उर्दू एवं पंजाबी भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए इस विभाग के दूरभाष संख्या 23392001–6 (इन्टरकॉम 3715) से संपर्क किया जा सकता है। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय

19/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/1792–1795 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

(4)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1796 – 1846   दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषयः दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार–बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97–भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण है और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है। यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियो, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :–

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :– 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना

अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष सं0: 23392307

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1847 - 1856
दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली–01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28 को सूचनार्थ।
10. सलाहकार (जनकल्याण), मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)